स्थायी समिति के फतावा से अक़ीक़ा के बारे में बीस फत्वे

[हिन्दी – Hindi – هندي]

एहसान बिन मुहम्मद बिन आइश अल-उतैबी

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1435

IslamHouse.com

﴿عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة﴾

« باللغة الهندية »

إحسان بن محمد بن عايش العتيبي

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1435

IslamHouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

स्थायी समिति के फतावा से अक़ीक़ा के बारे में बीस फत्वे

अक़ीक़ा

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की दया व शांति हो उस ईश्दूत पर जिसके बाद कोई ईश्दूत नहीं है।

यह अक़ीक़ा के बारे मे स्थायी समिति के विद्वानों के बीस फत्वे हैं। मैं ने इन्हें एकत्र करना, इन्हें मुरत्तब करना और इनसे लाभ अर्जन के सामान्यीकरण को उचित समझा।

1– फत्वा संख्या (181) का चौथा प्रश्न

प्रश्न 4 : क्या जिस मुसलमान व्यक्ति के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो उसके लिए खाना पकाना और अपने मुसलमान भाईयों को उस पर आमंत्रित करना सही है ?

उत्तर 4 : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नर की तरफ से दो बकरियाँ और मादा की तरफ से एक बकरी अक़ीक़ा करना धर्म संगत क़रार दिया है। जिस तरह कि उससे खाना, उपहार देना और दान करना धर्म संगत बनाया है। अगर जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है खाना तैयार करे और अपने कुछ मुसलमान भाईयों को उस पर आमंत्रित करे और इस खाने

के साथ उसके गोश्त में से कुछ शामिल कर दे तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। बल्कि वह उपकार (एहसान) के अध्याय में से है। लेकिन जहाँ तक इस मामले का संबंध है जिसे कुछ लोग करते हैं कि वे बच्चे के जन्म लेने के दिन खाना बनाते हैं और उसे जन्म दिवस का नाम देते हैं और जिसके बच्चा पैदा हुआ है उसकी इच्छा के अनुसार या उसके अलावा किसी अन्य की इच्छा के अनुसार या बड़ा होने पर स्वयं बच्चे की इच्छा के अनुसार उसे बार–बार किया जाता है, तो इसका शरीअत से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वह एक बिद्अत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''जिस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया जो

हमारे आदेश के अनुसार नहीं है तो वह अस्वीकृत है।'' तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया : ''जिस व्यक्ति ने हमारे इस (शरीअत के) मामले में कोई नई चीज़ निकाली जो उसमें से नहीं है तो वह अस्वीकृत है।''

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला (शक्ति का स्रोत) है। तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आप की संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन मनीअ्

''फतावा स्थायी समिति'' (11/436).

2– फत्वा संख्या (1776) का दूसरा प्रश्न

प्रश्न 2 : अल्लाह ने मुझे कई बच्चे प्रदान किए, परंतु आजीविका की कमी के कारण मैं ने उनमें से एक बच्चे का भी अक़ीक़ा नहीं किया ; क्योंकि मैं एक कर्मचारी हूँ और मेरी तनख्वाह सीमित है जो केवल मेरे मासिक खर्च के लिए ही पर्याप्त है। इस्लाम में मेरे ऊपर मेरे बच्चों के अक़ीक़ा का हुक्म क्या है ?

उत्तर 2 : अगर वस्तुस्थिति ऐसे ही है जैसा कि आप ने उल्लेख किया कि आपके हाथ तंग हैं, आपकी आय केवल आपके और आपके अधीन लोगों के खर्च के लिए ही पर्याप्त है ; तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अपने बच्चों की ओर से अक़ीक़ा के द्वारा अल्लाह की निकटता न हासिल करने में कोई गुनाह की बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

''अल्लाह तआला किसी प्राणी पर उसकी शक्ति से अधिक भार नहीं डालता।'' (सूरतुल–बक़रा : 286)

तथा अल्लाह का फरमान है :

﴿وما جعل عليكم فى الدين من حرج ﴾ [الحج : ٧٨]

''उसने तुम्हारे ऊपर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली है।'' (सूरतुल हज्ज : 78)

तथा अल्लाह सुब्हानहु ने फरमाया :

﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن : ١٦]

''तुम अपनी ताक़त भर अल्लाह से डरो।'' (सूरतुत तगाबुन : 16)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमाया : ''जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का आदेश दूँ तो तुम अपनी यथाशक्ति उसे करो। और जब मैं तुम्हें किसी

चीज़ से रोक दूँ तो उससे दूर रहो।'' और जब भी आपके पास आसानी हो जाए, आपके लिए उसे करना धर्म संगत है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/436, 437).

3– फत्वा संख्या (2191) का तीसरा प्रश्न

प्रश्न 3: एक आदमी का कहना है कि उसे किसी आदमी ने फत्वा दिया है और निर्देश किया है कि : नर बच्चे का अक़ीक़ा एक ही समान दो बकरियों (भेड़ों) का होना ज़रूरी है, या तो दोनों बकरे हों या दोनों भेड़ हों। इस बारे में आपका क्या विचार है ?

उत्तर 3: सुन्नत का तरीक़ा यह है कि बच्चे की ओर से दो बराबर बकरियाँ और बच्ची की ओर से एक बकरी ज़बह किया जाए। क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से प्रमाणित है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करती हैं कि आप ने फरमाया : ''**बच्चे की ओर से दो**

बराबर बकरियाँ और लड़की की ओर से एक बकरी (अक़ीक़ा) है।'' इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है। तथा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि : **''अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हसन और हुसैन की ओर से एक–एक मेंढा अक़ीक़ा किया।''** इस हदीस को अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है, और कहा है कि : ''दो–दो मेंढे (ज़बह किए)।'' ऐसा करना ही अफज़ल और बेहतर है। रही बात पर्याप्त होने की तो वह हर उस चीज़ से प्राप्त हो जाता है जिससे कुर्बानी पर्याप्त और काफी हो जाती है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/437, 438).

4– फत्वा संख्या (3116) का दूसरा प्रश्न

प्रश्न 2 : यदि आदमी के यहाँ बच्चा पैदा हो, परंतु उसके पास धन न हो कि वह उसकी ओर से जानवर ज़बह कर सके यहाँ तक कि उसके ऊपर एक साल या उससे अधिक अवधि बीत जाए, फिर वह धन पा जाए, तो क्या वह इस समय उसकी ओर से अक़ीक़ा करेगा या कि वह उसके ऊपर से समाप्त हो जाएगा ?

उत्तर 2 : जब उसके पास आसानी हो जाए तो उसके लिए उसकी ओर से अक़ीक़ा करना सुन्नत है, चाहे एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद ही क्यों न हो।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/438, 439).

5– फत्वा संख्या (4861) का पहला प्रश्न

प्रश्न 1: क्या अक़ीक़ा फर्ज़ है या वांछनीय सुन्नत है ? क्या अगर आदमी सक्षम होते हुए भी अपने बच्चे के लिए अक़ीक़ा करने में लापरवाही करता है तो वह गुनाहगार होगा ? कितनी अवधि है जिसमें उसे पूरा करना अनिवार्य है ? यदि उसने उसे किसी उज़्र की वजह से या बिना उज़्र के दो महीने या एक महीने के लिए विलंब कर दिया तो उसे अदा करना जायज़ है ?

उत्तर 1: अक़ीक़ा सुननत मुअक्कदा है, बच्चे की ओर से दो बकरियाँ हैं जिनमें से प्रत्यके कुर्बानी में किफायत करने वाली हो, तथा लड़की की

ओर से एक बकरी है। अक़ीक़ा के जानवर को सातवें दिन ज़बह किया जायेगा, अगर सातवें दिन से विलंब कर दिया तो उसे किसी भी समय ज़बह करना जायज़ है, और वह उसमें देरी करने पर गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक हो सके उसमें पहल करना अफज़ल (श्रेष्ठ) है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/439).

6– फत्वा संख्या (6268) का चौथा प्रश्न

प्रश्न 4 : एक आदमी ने अपने बच्चे के अक़ीक़ा के लिए जानवर खरीदे जिन्हें वह एक या दो दिन के बाद जब़ह करना चाहता था। वह इसके द्वारा अपने आसपास के पड़ोसियों का इकट्ठा करना चाहता था। चुनांचे उसके पास एक अतिथि आया और उसने उसके लिए उनमें से

एक जानवर ज़बह कर दिया और बतलाया कि यह उसके बच्चे का अक़ीक़ा है। इसके बाद उससे कहा गया कि : यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि वह अतिथि से यह न बतलाता और अतिथि यह समझता कि यह उसके सम्मान के तौर पर है, तो इन दोनों स्थितियों के बारे में हमें सूचित करें।

उत्तर 4 : निकटतम बात यह है कि वह (जानवर) पर्याप्त नहीं होगा; क्योंकि उस आदमी ने उसे अपने माल के बचाव का साधन बनाया है, चाहे उसने अतिथि को सूचित किया हो या न किया हो।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/439, 440).

7– फत्वा संख्या (8052) का दसवां प्रश्न

प्रश्न 10: क्या अक़ीक़ा में बकरी ज़बह करने की जगह कुछ किलो मांस खरीद लेना पर्याप्त है ? या कि उसमें केवल जानवर ज़बह करना ही पर्याप्त होगा ?

उत्तर 10: लड़की की ओर से एक बकरी और लड़के की ओर से दो बकरियाँ ज़बह करना ही पर्याप्त होगा।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/440).

8– फत्वा संख्या (7365) का दूसरा प्रश्न

प्रश्न 2: मेरे पिता एक धनी आदमी हैं और उनके पास पशु संपत्ति है। मेरी माँ के पास एक बकरी थी। उन्हों ने मेरी माँ से बकरी मांगी ताकि मेरा और मेरे भाई तिहार का अक़ीक़ा करें,

उन्हों ने कहा : मुझे बकरी दे दो हम उसे बेच दें या उसे सईद और तिहार के अक़ीक़ा के तौर पर ज़बह कर दें। जब मेरी माँ ने देखा कि वह बकरी लेने पर तुले हुए हैं, तो उन्हों ने कहा : उसे अक़ीक़ा कर दें, यह उसे बेचने से अच्छा है। इसमें एक तरह की ज़बरदस्ती थी। पाँच महीने के बाद अक़ीक़ा हुआ। इसी तरह मेरे कुछ भाईयों का भी।

मेरा प्रश्न यह है कि : क्या मेरे पिता ने जो कुछ किया है वह काफी है ? और यदि कोई चीज़ बाक़ी रह गई है तो क्या उसे मेरे लिए करना जायज़ है ?

उत्तर 2 : वह बकरी आपकी ओर से अक़ीक़ा के तौर पर काफी है और आपके लिए उसके अलावा ज़बह करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अक़ीक़ा बाप के हक़ में सुन्नत है, न कि आप के हक़ में। और उन्हों ने उसका कुछ हिस्सा अदा कर दिया है। और यदि वह मौजूद हैं तो उनके लिए एक दूसरी बकरी ज़बह करना धर्म संगत है; क्योंकि अक़ीक़ा में सुन्नत यह है कि लड़के की ओर से दो बकरियाँ आर लड़की की ओर से एक बकरी ज़बह की जाय।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी

मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/441).

9– फत्वा संख्या (9029) का दूसरा प्रश्न

प्रश्न 2: एक आदमी के कई बेटे पैदा हुए परंतु उसने उनकी ओर से अक़ीक़ा नहीं किया;

क्योंकि वह गरीबी की हालत में था। एक अवधि के बाद अल्लाह ने उसे अपनी अनुकम्पा से मालदार कर दिया, तो क्या उसके ऊपर अक़ीक़ा अनिवार्य है ?

उत्तर 2: यदि वस्तुस्थिति वही है जो उल्लेख किया गया है तो उसके लिए उनकी ओर से हर एक बेटे के लिए दो बकरियाँ अक़ीक़ा करना धर्म संगत है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/441, 442).

10– फत्वा संख्या (9029) का पहला प्रश्न

प्रश्न 1: अक़ीक़ा के बारे में ''सअद बिन अब्दुर्रहमान'' कहते हैं : सऊदी अरब में वरिष्ठ विद्वानों में से जिसे भी वह जानते हैं और जिसकी भी उम्मत के पूर्वजों (सलफ सालेहीन) के असर (उदाहरणों) पर दृष्टि है वे लोगों को

उनके अक़ीके पर आमंत्रित करते है और आज तक किसी ने भी उनका खण्डन नहीं किया है।

उत्तर 1: अक़ीक़ा : वह है जो जन्म के सातवें दिन अल्लाह तआला ने उसे जो बच्चा प्रदान किया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़बह किया जाता है, चाहे वह बच्चा नर हो या मादा। और यह सुन्नत है ; क्योंकि इस बाबत कई हदीसें वर्णित हैं। जो आदमी अपने बच्चे का अक़ीक़ा करता है उसे चाहिए कि लोगों को उसे खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करे। तथा वह उसे कच्चा या पकाये हुए गोश्त के रूप में भी गरीबों, अपने रिश्तेदारों,

अपने पड़ोसियों और दोस्तों वगैरह को बांट सकता है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/442).

11– फत्वा संख्या (6779) का पहला प्रश्न

प्रश्न 4: अक़ीक़ा और वलीमा में लोगों के जश्न मनाने का क्या हुक्म है ?

उत्तर 4: अक़ीक़ा : उस जानवर को कहते हैं जिसे नवजात शिशु की ओर से उसके जन्म के सातवें दिन ज़बह किया जाता है। **वलीमा** : उस खाना को कहते हैं जो शादी में परोसा जाता है, जैसे बलिदान वग़ैरह। ये दोनों चीज़ें सुन्नत हैं। तथा खाना खाने, खुशी साझा करना और निकाह का एलान करने के लिए इसमें एकत्र होना अच्छी बात है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/442, 443).

12– फत्वा संख्या (9353)

प्रश्न : हम जीज़ान के ग्रामीण क्षेत्र में देहाती लोग हैं और अक़ीक़ा के बारे में वर्णित हदीस के अर्थ से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि हमें उस पर अमल करने के तरीक़े का ज्ञान नहीं है, क्या उसे ज़बह करके कच्चा ही या पका कर बांट दिया जायेगा ? और क्या वह सद्क़ा है और गरीबों को दे दिया जायेगा ? हमारे यहाँ आदमी सातवें दिन ज़बह करता है और उसे एक बड़ी दावत का रूप दे देता है। वह लगभग दस बकरियाँ ज़बह करता है और उसपर अपने क़रीबी और दूर के साथियों को आमंत्रित करता है। वे आपस में सहयोग करते हैं, वे उसके घाटा के

बदले उसकी मदद के तौर पर उसे पैसा देते हैं, और यह एक परंपरा बन चुकी है। इसी तरह लगभग पूरे दिन बंदूक़ों और गोलियों का होना भी ज़रूरी है। हमें सूचित करें अल्लाह आपको ज्ञान प्रदान करे, कि क्या यह काम सही है ? यदि वह सही नहीं है तो इस बारे में हमें सीधा रास्ता बतलायें, अल्लाह आपको तौफीक़ प्रदान करे। तथा लोगों को उस चीज़ को त्याग करने पर किस तरह संतुष्ट किया जाए जो शरीअत के अनुरूप नहीं है ?

उत्तर : जिसे अक़ीक़ा करना है वह उसे कच्चा गोश्त ही या पकाकर गरीबों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों में वितरित कर दे, तथा

वह और उसका परिवार भी उससे खाए। वह ग़रीब व मालदार लोगों को भी आमंत्रित कर सकता है और उसे उन्हें अपने घर वग़ैरह में खिला सकता है। इस बाबत मामलें में विस्तार है। जहाँ तक बंदूक़ों के द्वारा गोलियाँ फायर करने की बात है तो यह लोगों की अपनी आदतों में से है, अक़ीक़ा के बारे में धार्मिक पद्वति से नहीं है और उसे त्याग देना अच्छा है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान

''फतावा स्थायी समिति'' (11/443, 444).

13– फत्वा संख्या (1684) का पहला प्रश्न

प्रश्न 1: एक व्यक्ति के यहाँ छः महीने का बच्चा पैदा हुआ, वह अपनी माँ के पेट से जीवित निकला और उसी दिन मर गया। क्या उसका अक़ीक़ा है या नहीं ?

उत्तर 1: यदि मामला ऐसे ही है जैसा कि आप ने उल्लेख किया है कि बच्चा अपनी माँ के पेट से छः महीने में जीवित बाहर निकला; तो उसकी तरफ से अक़ीक़ा करना सुन्नत है, अगरचे वह अपनी पैदाइश के बाद मर गया। यह उसके जन्म के सातवें दिन होगा, और उसका नाम भी रखा जायेगा। क्योंकि अहमद, बुखारी और असहाबुस्सुनन ने सलमान बिन आमिर से रिवायत किया है, और उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है आप ने फरमाया : ''बच्चे के साथ अक़ीक़ा है। अतः उसकी ओर से खून बहाओ, और उससे गंदगी को दूर करो।''

तथा हसन ने समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''हर बच्चा अपने अक़ीक़ा का बंधक होता है, जिसे उसके जन्म के सातवें दिन उसकी ओर से बलिदान किया जायेगा, उसका सिर मूँडा जायेगा और उसका नाम रखा जायेगा।'' इसे अहमद और असहाबुस्सुनन ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने सही कहा है।

अक़ीक़ा लड़के की ओर से दो बकरियाँ और लड़की की ओर से एक बकरी है; क्योंकि अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से उन्हों ने अपने दादा से रिवायत किया है कि उन्हों ने कहा : अल्लाह

के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जिस व्यक्ति के कोई बच्चा पैदा हो तो वह उसकी ओर से अक़ीक़ा करना चाहे, तो उसे चाहिए कि बच्चे की ओर से दो बराबर बकरियाँ और बच्ची की ओर से एक बकरी अक़ीक़ा करे।'' इसे अहमद, अबू दाऊद और नसाई ने हसन इसनाद के साथ रिवायत किया है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/444, 445).

14– फत्वा संख्या (969)

प्रश्न : यदि बच्चा सातवें दिन से पहले ही मर जाए तो क्या उसकी ओर से अक़ीक़ा अनिवार्य है ?

उत्तर : यदि बच्चा सातवें दिन से पहले मर जाए तो उसकी तरफ से अक़ीक़ा किया जायेगा। उसका सातवें दिन से पहले मर जाना

सातवें दिन ज़बह (अक़ीक़ा) करने में रूकावट नहीं है; क्योंकि अक़ीक़ा के बारे में वर्णित शरई प्रमाण जो उसके समय को दर्शाते हैं हम उस तरह का कोई प्रमाण नहीं जानते जो उसके सातवें दिन से पहले मर जाने की अवस्था में अक़ीक़ा के समाप्त हो जाने को दर्शाता हो। क्योंकि वे प्रमाण अपने सामान्य अर्थ से इस बात को दर्शाते हैं कि वह जन्म के द्वारा धर्म संगत है, और उसे सातवें दिन ज़बह किया जायेगा। यह सामान्य तर्क उस रूप को भी शामिल है जिसके बारे में प्रश्न किया गया है, और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं जानते हैं जो उसे इस सामान्यता से निकालने वाली हो, जैसा कि गुज़र चुका।

तथा सातवें दिन को ज़बह करने के लिए निर्धारित करने से यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि उसकी वैधता सातवें दिन से ही शुरू होती है। बल्कि जन्म ही अक़ीक़ा की अपेक्षा करने का कारण है, और सातवां दिन इस धर्म संगत काम को लागू करने का सबसे बेहतर समय है। इसीलिए यदि उससे पहले ज़बह कर दे तो काफी होगा। जैसा कि इब्नुल क़ैयिम और उनसे सहमति रखने वाले विद्वानों का कहना है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन मनीअ

''फतावा स्थायी समिति'' (11/445, 446).

15– फत्वा संख्या (1528) का तीसरा प्रश्न

प्रश्न 3: वह गिरा हुआ बच्चा जिसका नर या मादा होना स्पष्ट हो चुका है क्या उसके लिए अक़ीक़ा है या नहीं ? इसी तरह अगर बच्चा पैदा हो फिर कुछ दिनों के बाद मर जाए, और उसके जीवन में उसकी ओर से अक़ीक़ा न

किया गया हो तो क्या उसकी मौत के बाद उसकी ओर से अक़ीक़ा किया जायेग या नहीं ? और अगर बच्चे के जन्म पर एक महीना, या दो महीने, या आधा वर्ष, या एक वर्ष बीत जाए या वह बड़ा हो जाए और उसकी ओर से अक़ीक़ा न किया गया हो, तो क्या उसकी ओर से अक़ीक़ा किया जायेगा या नहीं ?

उत्तर 3: जमहूर फ़ुक़हा (धर्म शास्त्रियों की बहुमत) का मत यह है कि अक़ीक़ा सुन्नत है; क्योंकि अहमद, बुखारी और असहाबुस्सुनन ने सलमान बिन आमिर से रिवायत किया है, उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि आप ने फरमाया : ''बच्चे के साथ

अक़ीक़ा है। अतः उसकी ओर से खून बहाओ, उससे गंदगी को दूर करो।''

तथा हसन ने समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''हर बच्चा अपने अक़ीक़ा का बंधक होता है, जिसे उसके जन्म के सातवें दिन उसकी ओर से बलिदान किया जायेगा, उसका सिर मूँडा जायेगा और उसका नाम रखा जायेगा।'' इसे अहमद और असहाबुस्सुनन ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने सही कहा है।

तथा अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से उन्हों ने अपने दादा से रिवायत किया है कि उन्हों ने

कहा : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जिस व्यक्ति के कोई बच्चा पैदा हो तो वह उसकी ओर से अक़ीक़ा करना चाहे, तो उसे चाहिए कि बच्चे की ओर से दो बराबर बकरियाँ और बच्ची की ओर से एक बकरी अक़ीक़ा करे।'' इसे अहमद, अबू दाऊद और नसाई ने हसन इसनाद के साथ रिवायत किया है।

गिरे हुए बच्चे की ओर से अक़ीक़ा नहीं है यदि वह उसमें रूह फूँके जाने से पूर्व गिर गया है; क्योंकि उसे बच्चा और नवजात शिशु नहीं कहा जायेगा। अक़ीक़ा को जन्म के सातवें दिन ज़बह किया जायेगा। यदि भ्रूण जीवित पैदा हो और

सातवें दिन से पहले मर जाए तो उसकी ओर से सातवें दिन अक़ीक़ा करना और उसका नाम रखना सुन्नत है। अगर सातवाँ दिन बीत जाए और उसकी ओर से अक़ीक़ा न किया जाए : तो कुछ विद्वानों का यह विचार है कि उसके बाद उसकी ओर से अक़ीक़ा करना सुन्नत नहीं है; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसका समय सातवें दिन निर्धारित किया है। जबकि हनाबिला और धर्म शास्त्रियों का एक समूह इस बात की ओर गया है कि उसकी ओर से अक़ीक़ा करना सुन्नत है, चाहे उसके जन्म के एक महीना, या एक वर्ष, या इससे अधिक समय के बाद ही क्यों न हो ; क्योंकि इस बाबत वर्णित हदीसें सामान्य हैं। तथा इसलिए भी कि

बैहक़ी ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईश्दूत बनाए जाने के बाद अपनी ओर से अक़ीक़ा किया। और यही अधिक सावधानी (एहतियात) का पात्र है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान,

''फतावा स्थायी समिति'' (11/446, 447).

16– फत्वा संख्या (4679) का आठवाँ प्रश्न

प्र 8: बच्ची की मृत्यु के बाद अक़ीक़ा हुआ। उस समय बच्ची की आयु डेढ़ साल थी। क्या स्वाभाविक रूप से उसका अक़ीक़ा हो गया या नहीं ? क्या यह बच्ची आख़िरत में अपने माता पिता को लाभ पहुँचायेगी ? हमें इससे सूचित करें।

उत्तर 8: जी हाँ, यह पर्याप्त होगा, किन्तु उसे जन्म के सातवें दिन से विलंब करना सुन्नत के विरूद्ध है। तथा हर बच्चा या बच्ची जो बचपन

में मृत्यु पा चुके हैं अल्लाह तआला उनके कारण उनके सब्र करने वाले माता पिता को लाभ पहुँचायेगा।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/448).

17– फत्वा संख्या (5088) का पहला प्रश्न

प्रश्न 1: मेरी माँ के दो बच्चे हुए और वे दोनों बचपन में ही मृत्यु पा गए। अभी तक उन दोनों का अक़ीक़ा नहीं हुआ है। मेरे पिता के पास अक़ीक़ा करने के लिए कुछ नहीं था। ज्ञात रहे कि अब मेरे पिता का निधन हो चुका ह। क्या मेरी माँ अपने मृत्यु पा चुके बच्चों का अक़ीक़ा कर सकती हैं ?

उत्तर 1 : यदि वास्तव में मामला ऐसे ही है जैसा कि उल्लेख किया गया है, तो आपकी माँ दोनों बच्चों का अक़ीक़ा कर सकती हैं और इन शा अल्लाह उन्हें अल्लाह की ओर से इस पर पुण्य मिलेगा।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/448, 449).

18– फत्वा संख्या (12591) का सातवाँ प्रश्न

प्रश्न 7: मेरे चार बच्चे हैं और मैं गर्भवती हूँ। मैं ने उन सब की ओर से अक़ीक़ा नहीं किया है। क्या मैं उनकी ओर से अक़ीक़ा करू या हर बच्चे की तरफ से पैसे निकाल दूँ ? हमें अवज्ञत करायें, अल्लाह आपको अच्छा बदला प्रदान करे।

उत्तर 7: बच्चे की ओर से दो बकरियाँ और बच्ची की ओर से एक बकरी अक़ीक़ा की जायेगी, और पैसा वग़ैरह देना पर्याप्त नहीं होगा।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान

''फतावा स्थायी समिति'' (11/449).

19– फत्वा संख्या (2392) का तीसरा प्रश्न

प्रश्न 3: बच्चे का नाम रखने में कौन सा दिन सबसे बेहतर है : जन्म के बाद ही या जन्म के सातवें दिन ? क्या उस दिन प्रिय जनों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जश्न मनाना ठीक है ?

उत्तर 3: जहाँ तक बच्चे के नामकरण के समय का संबंध है तो इस बाबत विस्तार है। सो अगर उसके जन्म के दिन ही या सातवें दिन उसका नाम रखे, इसको इंगित करने वाले प्रमाण वर्णित हैं। बुखारी और मुस्लिम ने सहीहैन (अर्थात सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) में सहल बिन सअद अस–साइदी की हदीस से रिवायत किया है कि उन्हों ने कहा : मुन्ज़िर बिन उसैद जब

पैदा हुए तो उन्हें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास लाया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें अपनी रान पर रख लिया, जबकि उसैद के पिता बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सामने किसी चीज़ में व्यस्त हो गए। तो अबू उसैद अपने बेटे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रान पर से उठवा लिया। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा ''बच्चा कहाँ है ?'' अबू उसैद ने कहा : ऐ अल्लाह के पैगंबर! हम ने उसे वापस ले लिया। तो आप ने पूछा : ''उसका नाम क्या है?'' उन्हों ने कहा : फलाँ। आप ने फरमाया : ''नहीं, बल्कि उसका नाम मुन्ज़िर है।''

तथा सहीह मुस्लिम में सुलैमान बिन मुग़ीरह की हदीस से, साबित के माध्यम से अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''आज रात मेरे एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम मैं ने अपने बाप के नाम पर इब्राहीम रखा है।'' तथा अहमद और असहाबुस्सुनन ने समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''हर बच्चा अपने अक़ीक़ा का बंधक होता है, जिसे उसके जन्म के सातवें दिन उसकी ओर से बलिदान किया जायेगा, उसमें उसका नाम रखा जायेगा और उसका सिर मूँडा जायेगा।''

तिर्मिज़ी ने कहा है कि यह हदीस 'हसन सहीह' है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''फतावा स्थायी समिति'' (11/449, 4450).

20– शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

सातवें दिन (नर) बच्चे का सिर मूँडना चाहिए, और उसके वज़न के बराबर चाँदी दान करना चाहिए। यह उस स्थिति में है जबकि नाई मौजूद हो जो बच्चे के सिर को मूँड सकता हो। यदि नाई उपलब्ध नहीं है और इन्सान सिर के बाल के वज़न के लगभग दान करना चाहे : तो मुझे आशा है कि इसमें कोई आपत्ति या गुनाह की बात नहीं है . . . अक़ीक़ा के अंदर बलिदान किए जाने वाले जानवर में साझेदारी करना पर्याप्त नहीं होगा। चुनाँचे ऊँट (अक़ीक़ा में) दो की ओर से, तथा गाय भी दो की ओर से प्र्याप्त

नहीं होगी। तथा तीन की ओर से, या चार की ओर से तो और भी प्र्याप्त नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि **सर्वप्रथम** : इसके अंदर साझेदारी की बाबत कोई प्रमाण वर्णित नहीं है, और इबादतों का आधार तौक़ीफ पर है। **दूसरा** : यह कि अक़ीक़ा एक फिद्या है, और फिद्या के अलग–अलग हिस्से नहीं होते। यह एक नफ्स (प्राण) का फिद्या है। और जब वह एक नफ्स (प्राण) की तरफ से फिद्या है तो उसका एक नफ्स (प्राण) होना ज़रूरी है। इसमें शक नहीं कि पहला तर्क ही सबसे शुद्ध है; क्योंकि अगर उसके अंदर साझेदारी का वर्णन हुआ होता तो दूसरा कारण व्यर्थ हो जाता, अतः इस हुक्म का आधार उसके वर्णित न होने पर है . . .

''अश–शरहुल मुम्ते'' (7/540, 547)

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

अल्लाह तआला हमें और आपको लाभदायक ज्ञान और अच्छे कर्म करने की तौफीक़ प्रदान करे।

परिशिष्ट (1) :

बच्चे का बाल मुँडाना निश्चित रूप से प्रमाणित है

नवजात शिशु के सिर का बाल मुँडाना साबित है और इसमें कोई सन्देह नहीं है। परंतु मतभेद

खून से लिप्त करने में है। सिर के बाल मुँडाने की प्रामाणिकता को यह तथ्या भी साबित करता है कि उसके वज़न के बराबर चाँदी दान करने का वर्णन आया है। जहाँ तक शब्द ''अल–अज़ा'' (अर्थात गंदगी) का संबंध है तो इससे अभिप्राय : बाल, या उससे भी अधिक सामान्य चीज़ है परंतु बाल उससे अलग नहीं है।

इब्ने हजर कहते हैं :

तथा उसी में – अर्थात तबरानी की 'मोजमुल औसत' में – इब्ने उमर से मरफूअन यह हदीस वर्णित है कि : ''जब नवजात शिशु का सातवाँ

दिन हो तो उसकी ओर से खून बहाओ, उससे गंदगी दूर करो और उसका नाम रखो।''

और उसकी सनद हसन है।

''फत्हुल बारी'' (9/589).

तथा उन्हों ने फरमाया :

हदीस का शब्द ''व अमीतू'' अर्थात दूर करो, मिटाओ।

हदीस का शब्द ''अल–अज़ा'' अबू दाऊद में सईद बिन अबी अरूबह और इब्ने औन के माध्यम से मुहम्मद बिन सीरीन से वर्णित है कि उन्हों ने कहा : ''यदि गंदगी सिर मुँडाना नहीं

है, तो फिर मैं नहीं जानता कि वह क्या चीज़ है।''

तथा तहावी ने यज़ीद बिन इबराहीम के माध्यम से मुहम्मद बिन सीरीन से वर्णन किया है कि उन्हों ने कहा : ''मैं ने किसी को नहीं पाया जो मुझे ''अल–अज़ा'' की व्याख्या बता सके।'' अंत हुआ।

असमई ने निश्चित रूप से उसे : सिर मुँडाना बताया है। इसे अबू दाऊद ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है।

तथा हाकिम के यहाँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में आया है कि ''आप ने आदेश दिया

कि उन दोनों के सिर से गंदगी को दूर किया जाय'' लेकिन निर्धारित रूप से यह सिर मुँडाना ही नहीं है। चुनाँचे तबरानी के यहाँ इब्ने अब्बास की हदीस में आया है कि ''उससे गंदगी को दूर किया जाय और उसका सिर मुँडाया जाय'' तो यहाँ पर सिर मुँडान को गंदगी दूर करने पर अत्फ किया गया है, अतः बेहतर यह है कि गंदगी को सिर मुँडाने से अधिक सामान्य चीज़ पर महमूल किया जाएगा। इस तथ्य का समर्थन इस बात से भी होता है कि अम्र बिन शुऐब की हदीस के कुछ तरीक़ो में यह आया है कि ''उससे उसकी गंदगियों को दूर किया जाय।'' इसे अबुश–शैख ने रिवायत किया है।

''फत्हुल बारी'' (9/593).

इब्नुल क़ैयिम फरमाते हैं :

आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि ''बच्चे की ओर से दो बकरियाँ और बच्ची की ओर से एक बकरी है।''

तथा फरमाया : ''हर बच्चा अपने अक़ीक़ा का बंधक होता है, जिसे उसके जन्म के सातवें दिन उसकी ओर से बलिदान किया जायेगा, उसका सिर मूँडा जायेगा और उसका नाम रखा जायेगा''

''ज़ादुल मआद'' (2/325).

तथा इब्नुल क़ैयिम ने फरमाया :

अबू उमर बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं :

जहाँ तक अक़ीक़ा के समय बच्चे का सिर मूँडने का संबंध है तो विद्वान लोग इसे मुस्तहब समझते थे। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने अक़ीक़ा की हदीस में फरमाया : ''उसका सिर मूँडा जाये और उसका नाम रखा जाए।''

खल्लाल ''अलजामिअ'' में कहते हैं : बच्चे के सिर और उस के बाल के वज़न का दान करने का वर्णन :

मुझे सूचना दिया मुहम्मद बिन अली ने, वह कहते हैं कि हम से हदीस बयान किया सालेह ने कि उनके बाप ने कहा : उसके जन्म के सातवें दिन सिर मुँडाना मुस्तहब है।

तथा हसन ने समुरह के माध्यम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि ''उसका सिर मुँडाया जायेगा।''

तथा सलमान बिन आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि : ''उससे गंदगी दूर करो।''

वह कहते हैं कि : हसन से हदीस के शब्द ''उससे गंदगी दूर करो'' के बारे में पूछा गया तो उन्हों ने कहा : उसका सिर मुँडाया जायेगा।

हंबल कहते हैं : मैं ने अबू अब्दुल्लाह को कहते हुए सुना कि बच्चे का सिर मुँडाया जायेगा।

तथा फज़्ल बिन ज़ियाद कहते हैं : मैं ने अबू अब्दुल्लाह से कहा क्या बच्चे का सिर मुँडाया जायेगा ? उन्हों ने कहा : हाँ। मैं ने कहा : क्या उसे खून से लिप्त किया जायेगा ? उन्हों ने कहा : नहीं, यह जाहिलियत (अज्ञानता काल) के लोगों का काम है।

''तोहफतुल मौदूद'' (पृष्ठ : 97).

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

परिशिष्ट (2) :

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के स्वयं अपना अक़ीक़ा करने की हदीस

हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं :

इब्ने अबी शैबा ने मुहम्मद बिन सीरीन के माध्यम से उल्लेख किया है कि उन्हों ने कहा : ''यदि मुझे पता चल जाता कि मेरी ओर से अक़ीक़ा नहीं हुआ है, तो मैं अपनी ओर से अक़ीक़ा करता।''

इसे क़फ़्फाल ने चयन किया है, तथा ''अल–बुवैती'' में इमाम शाफेई का मूल शब्द उल्लेख किया गया है कि बड़े की ओर से अक़ीक़ा नहीं किया जायेगा।

लेकिन यह आदमी को स्वयं अपना अक़ीक़ा करने से रोकने के बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं है, बल्कि इस बात की संभावना है उनका मतलब यह है कि वह बड़ा होने पर किसी दूसरे का अक़ीक़ा नहीं करेगा। गोया वह इसके द्वारा यह संकेत देना चाहते हैं कि वह हदीस जो इस बारे में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सन्देष्टा बनाए जाने के बाद स्वयं

अपना अक़ीका किया, प्रमाणित नहीं है। और वास्तविकता यही है।

चुनाँचे इसे बज़्ज़ार ने अब्दुल्लाह बिन मुहर्रर की रिवायत से क़तादह से और उन्हों ने अनस से रिवायत किया है।

बज़्ज़ार कहते हैं कि : अब्दुल्लाह ने इसे अकेले रिवायत किया है और वह ज़ईफ (कमज़ोर) वक्ता हैं। अंत हुआ।

तथा अबुश्–शैख ने इसे दो अन्य तरीक़ों से रिवायत किया है :

उनमें से एक : इसमाईल बिन मुस्लिम की रिवायत से क़तादा से रिवायत किया है, और इसमाईल भी एक ज़ईफ़ (कमज़ोर) रावी हैं।

अब्दुर्रज़्ज़ाक़ कहते हैं : उन्हों ने अब्दुल्लाह की हदीस को इसी हदीस के कारण छोड़ दिया है, तो शायद इसमाईल ने इसे उनसे चुरा लिया है।

दूसरा : अबू बक्र अल–मुस्तमली की रिवायत से हैसम बिन जमील और दाऊद बिन अल–मुहब्बर से रिवायत किया है कि उन दोनों ने कहा : हमसे हदीस बयान किया अब्दुल्लाह बिन अल–मुसन्ना ने सुमामा से और उन्हों ने अनस से। इस कड़ी में दाऊद ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं,

लेकिन हैसम विश्वस्त (भरोसेमंद) हैं, और अब्दुल्लाह, बुखारी के रावियों में से हैं।

अतः इस हदीस की इसनाद मज़बूत है।

तथा इसे मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन ऐमन ने इब्राहीम बिन इसहाक़ अस–सिराज से और उन्हों ने अम्र अन्नाक़िद से उल्लेख किया है।

तथा तबरानी ने मोजमुल औसत में अहमद बिन मसऊद से रिवायत किया है, फिर दोनों ने अकेले हैसम बिन जमील से रिवायत किया है।

सो अगर अब्दुल्लाह बिन अल–मुसन्ना में आपत्तिजनक बात न होती तो यह हदीस सहीह होती। लेकिन इब्ने मईन ने कहा है : यह कुछ

भी नहीं हैं। तथा नसाई का कहना है : यह मज़बूत नहीं हैं। तथा अबू दाऊद कहते हैं : मैं उनकी हदीस नहीं उल्लेख करता। तथा साजी का कहना है : उनके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है, वह अहले हदीस में से नहीं थे, उन्हों ने मुन्कर हदीसें रिवायत की हैं। तथा उक़ैली का कहना है : उनकी अक्सर हदीसों पर उनका अनुसरण नहीं किया जायेगा। इब्ने हिब्बान ''अस्सिक़ात'' में कहते हैं कि : संभवतः उनसे गलती हो गई है। जबकि अल–अजली और तिर्मिज़ी वगैरह ने इन्हें भरोसेमंद बताया है। तो यह उन शुयूख में से हैं कि जब उनमें से कोई एक हदीस को अकेले ही रिवायत करता तो वह हुज्जत नहीं होगी।

हाफिज़ ज़िया इस्नाद के ज़ाहिर (बाहरी स्थिति) पर गए हैं। चुनाँचे उन्हों ने इस हदीस को ''अल–अहादीसुल मुख्तारतो मिम्मा लैसा फिस्सहीहैन'' में उल्लेख किया है।

तथा यह भी कहा जा सकता है कि : यदि यह सूचना (हदीस) सहीह है तो यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विशिष्टताओं (खुसूसियात) में से होगी, जैसा कि उन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अपनी उम्मत के कुर्बानी न करने वाले लोगों की ओर से कुर्बानी करने के बारे में कहा है।

''फत्हुल बारी '' (9/595).

मैं कहता हूँ : इस हदीस पर हुक्म लगाने की बाबत हाफिज़ इब्ने हजर की बात में खुला इज़तिराब पाया जाता है जैसा कि यह बात स्पष्ट है।

इस बात की ओर हमारे गुरू शैख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने संकेत किया है।

तथा इस हदीस को हमारे गुरू शैख अल्बानी ने ''अस्सिलसिला अस्सहीहा'' (2726) में सहीह करार दिया है।

और इब्ने हज़्म से हसन अल–बसरी का कथन उल्लेख किया है कि : ''अगर आपकी ओर से अक़ीक़ा नहीं हुआ है तो आप अपनी ओर से

अक़ीक़ा करें, अगरचे आप आदमी हों।'' और उन्हों ने इसे सहीह कहा है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

लेखन

एहसान बिन मुहम्मद बिन आइश अल–उतैबी